गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.06.2018 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 150वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15.06.2018 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया::–

1.	डा0 प्रभात कुमार, आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ		अध्यक्ष
2.	श्रीमती रितु माहेश्वरी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी गाजियाबाद		सदस्य
4.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल मेरठ		सदस्य
5.	श्री शुभेन्द्र चौधरी, परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना ईकाई उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद		सदस्य
6.	श्री रविन्द्र कुमार, अपर सम्भागीय अधिकारी, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड		सदस्य
7.	श्री सी0पी0 सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
8.	श्री सतीश चन्द गौड, चीफ कोआर्डिनेट प्लानर एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद		सदस्य
9.	श्रीमती स्मिता सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
10.	श्री महेश प्रसाद, संयुक्त आवास आयुक्त सम्पत्ति विभाग उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ जोन		सदस्य
11.	मौ0 आसिफ खान		गैर सरकारी सदस्य
12.	श्रीमती कृष्णा त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री सचिन कुमार		गैर सरकारी सदस्य
14.	श्री हिंमाशु मित्तल		गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
149/1		प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.01.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30.01.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
149/2		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 30.01.2018 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	1. प्राधिकरण की 148 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.07.2017 की मद सं0 25 में प्रस्तुत प्रस्ताव में आगामी नयी योजनाओं की सम्पत्तियों पर ब्याज दर निर्धारण के सम्बन्ध में आवासीय सम्पत्तियों पर 10.50 प्रतिशत, अन्य सम्पत्तियों पर 11 प्रतिशत ब्याज दर तथा दण्ड ब्याज 14 प्रतिशत की दर से लिये जाने का निर्णय लिया गया । 2. प्राधिकरण की 149 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.01.2018 की मद सं0 21 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0–2 कोयल एनक्लेव के आवंटी को लिखित सूचना भेजने हेतु विलम्ब के कारण प्राधिकरण की हुई क्षति रू0 10679975/– के सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित कर वसूली किये जाने का निर्णय लिया गया।
150/3		भूखण्ड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मी0 से अधिक के ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु भूखण्ड के अन्दर ही सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम–2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप बल्क वेस्ट जनरेटरों (केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभाग एवं उपक्रम, स्थानीय निकाय, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्थान, हॉस्टल, होटल, व्यवसायिक संस्थान, बाजार, धार्मिक स्थान, स्टेडियम)

			द्वारा बायोडिग्रेडेबल कूडा की कम्पोस्टिंग अथवा बायोमिथिनेशन पद्वति को अपने परिसरों में भी ट्रीट किया जायेगा।
150/4		खसरा सं0 1132,1133 ग्राम डासना तहसील गाजियाबाद की भूमि पर 40 किलो ली0 डीजल के भण्डारण किये जाने हेतु अन्डरग्राउण्ड टैंक/पम्प की अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/5		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/स्वीकृत योजनाओं में 150 वर्ग मी0 व उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवेदक के अनुरोध के साथ विकास शुल्क लिये जाने के प्रावधान के अन्तर्गत स्टिल्ड फ्लोर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
150/6		गाजियाबाद में नार्दन रेलवे द्वारा धोबीघाट आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु वांछित स्थान से विस्थापित व्यक्तियों के निवास हेतु भवन आदि के निर्माण मानचित्रों के शुल्कों को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/7		प्राधिकरण की योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा निर्मित एच0आई0जी0, एम0आई0जी0, एल0आई0जी0 व ई0डब्लू0एस0 भवनों में निर्मित भवनों को तोडकर अथवा मौजूदा भवन में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दिये जाने विषयक।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी कि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित न किया जाये।
150/8		प्राधिकरण की कौशाम्बी योजना में **Cyber Hub** हेतु कन्सलटेन्ट के माध्यम से तैयार करायी गयी **Feasibility Report** के प्रस्तुतिकरण एवं कौशाम्बी योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर सैद्वांतिक सहमति प्रदान करते हुए निम्न निर्णय लिये गये:– 1. समान प्रकृति की संचालित परियोजना की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। 2. प्रस्तावित भू–उपयोग वितरण का जस्टीफिकेशन कराया जाये। 3. विभिन्न मॉडल का अध्ययन कर प्राधिकरण को अधिकतम लाभ हेतु मॉडल प्रस्तावित किया जाये उपरोक्त कार्यवाही के साथ विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष महोदय के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत कर अन्तिम रूप से अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

150/9		राजनगर डिस्ट्रिक सेन्टर (आर0डी0सी0) के ले आउट प्लान में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
150/10		वाह्य विकास शुल्क/क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क/शमन शुल्क को किश्तों में लिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में दी गयी किश्तों की सुविधा को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य हेतु विकासकर्ता द्वारा देय सम्पूर्ण राशि का 15 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराते हुए किश्तों की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
150/11		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	1. वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय व्ययक अनुमोदित किया गया । 2. वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय व्ययक निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गयाः– (अ) पब्लीसिटी आफ वेरियस स्कीम मद में प्रस्तावित व्यय को 20.00 करोड़ के स्थान पर 10.00 करोड़ किया गया । (ब) अनुरक्षण मद के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अनुरक्षण राशि की वसूली हेतु अभियान चलाया जाये एवं भविष्य हेतु अनुरक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि व इस मद में किये जाने वाले व्यय को अनुपातिक किया जाये।
150/12		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ई–निविदा प्रकिया लागू होने के पश्चात ठेकेदारों के पंजीकरण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष स्तर से दिनांक 28.02.2018 को प्रस्ताव अनुसार निविदा प्रक्रिया में किये गये परिवर्तन की कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन करने के निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रदेश अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेगें, जिससे निर्माण एजेन्सी की प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सकें। साथ ही सड़क के कार्यो में 30 कि0मी0 की परिधि में स्वयं का हॉटमिक्स प्लान्ट होने की बाध्यता को समाप्त करते हुए निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित बिडर द्वारा, किस हॉटमिक्स प्लान्ट से आपूर्ति ली जायेगी, इस सम्बन्ध में वाछित विवरण भी बिड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

150/13		प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों के विक्रय किये जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि एवं इनके निर्माण पर आ रही लागत के अन्तर की धनराशि को अन्यत्र भारित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव में प्रस्तुत विकल्प सं0–2 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी:– 1. वांछित अतिरिक्त धनराशि की मांग शासन से की जायेगी। 2. शासन से धनराशि प्राप्त न होने की दशा में प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्ति के लिये रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त, बोली के अनुरूप मिलने वाली धनराशि से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। 3. अवस्थापना निधि के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त अतिरिक्त धनराशि की आंशिक प्रतिपूर्ति अवस्थापना निधि से की जा सकेगी।
150/14		गाजियाबाद नगर में घंटाघर से भाटिया मोड तक एलीवेटिड रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वयं ई–बिड आमंत्रित कर सम्पादित कराया जाये।
150/15		प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित 10.3 किलोमीटर एलीवेटिड रोड की साईड वाल एवं न्यू लिंक रोड (एन0एच0–58 से एन0एच0–24) पर सोलर पॉवर प्लान्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि बिड में परीक्षण कर यह भी सम्मिलित किया जाये कि इसका मॉड्यूल क्या होगा एवं प्राधिकरण के उपयोग हेतु कन्शेसनर द्वारा किस दर पर विद्युत की खपत का समायोजन किया जायेगा।
150/16		राजनगर डिस्ट्रिक सेन्टर एवं इन्दिरापुरम स्वर्णजयन्ती पार्क के समीप मल्टीलेविल मैकेनाईज्ड पार्किंग का पी0पी0पी0 मॉडल पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि पार्किंग के प्रवेश एवं निकास स्थानों पर ट्रैफिक मूवमेन्ट बाधित न हो एवं कन्शेसनर से कुछ न्यूनतम अपफ्रन्ट धनराशि भी ली जाये ताकि वह लीज अवधि में पार्किंग को निर्धारित शर्तो के अनुसार संचालित करना सुनिश्चित करें।
150/17		राजस्व ग्राम टीला शहवाजपुर के खसरा सं0 490 क्षेत्रफल 1–1–15 बीघा या 2751.38 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि के स्थान पर 50 प्रतिशत यानि 1375.69 वर्गमीटर भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

150/18		नार्दन पेरीफेरल रोड के संरेखण में 400/200/33 के0वी0 के बिजलीघर का निर्माण हो जाने के कारण रोड के आंशिक संरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि सड़क संरेखण में परिवर्तन के उपरोक्त अर्जन की अन्तर धनराशि सम्बन्धित विद्युत पारेषण विभाग से वसूल की जाये।
150/19		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0–1 कौशाम्बी की जमा धनराशि को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगत आदेश के कारण आवंटी की जमा समस्त धनराशि वापस किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
150/20		प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी/लाटरी द्वारा निस्तारित किये जाने हेतु न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु प्राधिकरण की योजनाओं का सैक्टर रेट दिनांक 31 मार्च 2019 तक फ्रिज अवधि बढाये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/21		प्राधिकरण द्वारा नीलामी/योजना प्रकाशन के माध्यम से विक्रित सम्पत्तियों के विरूद्व अवरूद्व धनराशि की वसूली हेतु की गयी किस्तों की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में दी गयी किश्तों की सुविधा को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य हेतु देय सम्पूर्ण राशि का 15 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराते हुए किश्तों की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष को गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
150/22		भूखण्ड सं0 जी0एच0–6 इन्दिरापुरम विस्तार में मैसर्स एम0एस0एस0 इन्फ्राकाम द्वारा जमा धनराशि को कर्पूरीपुरम योजना में आवंटित भूखण्ड सं0 एम0एल–1 में जमा की तिथि से समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त धनराशि समायोजन के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि ब्रोशर के नियम व शर्तों के अनुसार कटौती के उपरान्त आवंटी की जमा धनराशि रिफण्ड कर दी जाये।
150/23		श्री दिनेश प्रताप सिंह मा0 पूर्व विधायक के पक्ष में आवंटित भूखण्ड सं0 सी–100 मधुबन बापूधाम के विरूद्व देयता को एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि के क्रम में ओ0टी0एस0 मान्य करने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/24		यू0पी0 बर्ड फैस्टिबल 2018 के आयोजन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/25		संजय नगर डिस्ट्रिक सैन्टर स्थित नर्सिंग होम के दो भूखण्ड एन0एच0–1ए व एन0एच0–1बी को संयुक्त रूप से मिलाकर एक भूखण्ड में परिवर्तित करने (अमानगमेशन) हेतु प्रस्ताव।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

150/26		प्राधिकरण में शासन से पद स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यरत रहते हुए सेवा निवृत्त हुए श्री बुद्व सिंह को सेवा निवृत्ति उपरान्त पेन्शन एवं सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
150/27		श्री वीरेन्द्र सिंह, उद्यान निरीक्षक की पत्नी श्रीमती देवीन्द्री देवी के ईलाज पर व्यय हुई धनराशि के मेडिकल बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/28		गाजियाबाद में कियान्वित की जा रहीं हाईटैक/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड द्वारा परियोजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया गया। प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए पुनः शासन को अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिए गए।
		अतिरिक्त मद	
150/29		औद्योगिक भूखण्ड हेतु भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) का पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में शासन द्वारा प्रस्तावित आंशिक संशोधन अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/30		गाजियाबाद नगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढीकरण करने के लिये **Public Private Partnership Model** के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण के साथ डिमाण्ड सर्वे तथा उचित माडल के आंकलन हेतु **EOI** आमंत्रित की जाये। तद्पोरान्त विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
150/31		इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना, गाजियाबाद के ब्लाक–एफ में पूर्व नियोजित शैक्षिक भूखण्ड, दुकानों एंव विद्युत स्टेशन हेतु नियोजित भूखण्ड को तहसील कार्यालय हेतु आवंटन के फलस्वरूप इन्द्रप्रस्थ योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/32		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन/अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
150/33		राजबाग मैट्रो स्टेशन हेतु राजस्व ग्राम पसौण्डा के खसरा सं0 853 मि0 व 855 मि0 की 90.00 वर्गमीटर भूमि को भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापना मे उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अर्जन के माध्यम से प्राप्त करने में समय लगने के कारण एम0ओ0यू0 के माध्यम से प्रतिकर का आंशिक भुगतान कर भूमि का कब्जा प्राप्त किये जाने के पश्चात अर्जन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी कि एम0ओ0यू0 वर्तमान सर्किल दर रू0 68000/– प्रति वर्गमीटर से कम दर पर किया जाये तथा उपयोग हेतु न्यूनतम भूमि ली जाये।

150/34		गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डूंडाहेडा में मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (कंसोर्शियम) द्वारा विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के संशोधित विन्यास मानचित्र एवं समयवृद्वि के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:– 1. परियोजनाओं में कुल आवंटित भूखण्डों/भवनों की जानकारी विकासकर्ता से प्राप्त की जाये। 2. परियोजनाओं में प्राधिकरण की कोई देयता तो नही है इसका भी आंकलन कर लिया जाये। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।
150/35		इण्डियन फ्लोर बॉल फैडरेशन कप –2018 के संचालन हेतु इण्डियन फ्लोर बॉल फैडरेशन को खेल–कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत रू0 5.00 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त खेल–कूद गतिविधियों के प्रोत्साहन के दृष्टिगत भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(संतोष कुमार राय)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(रितु माहेश्वरी)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(डा0 प्रभात कुमार)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ